



ग्रामीण परिवर्तन के जमीनी शिल्पकार

20 सितंबर, 2026

जमीनी स्तर के प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का नेटवर्क विकेंद्रीकृत सेवा वितरण की आधारशिला है। ये कार्यकर्ता सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग देने के साथ-साथ समुदायों को संगठित करते हैं और ग्राम स्तर पर समय पर सहायता प्रदान करते हैं। देश भर में, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वच्छाग्रहियों, आवास मित्रों और अन्य अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के साथ **9 लाख** से अधिक सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (सीआरपी) सरकारी संस्थानों और ग्रामीण परिवारों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य कर रहे हैं। इन 9 लाख से अधिक सीआरपी में लगभग **4.08 लाख** आजीविका सीआरपी हैं, जो कृषि, पशुधन, मत्स्य पालन, वनोपज तथा उद्यम विकास जैसे क्षेत्रों में समुदायों को तकनीकी एवं आजीविका संबंधी सहायता प्रदान कर रहे हैं। अन्य विषयगत सीआरपी लैंगिक जागरूकता, वित्तीय साक्षरता और सामुदायिक विकास जैसे क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। इसके अलावा, स्वास्थ्य और पोषण में, **10.40 लाख** से अधिक आशा कार्यकर्ता और **10.58 लाख** प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल और प्रारंभिक बाल्यावस्था सेवाओं को मजबूत कर रहे हैं। सभी क्षेत्रों में ये जमीनी स्तर के कैंडर विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं के बीच प्रभावी अभिसरण सुनिश्चित करने के साथ-साथ स्थानीय संस्थानों की क्षमता और कार्यप्रणाली को सुदृढ़ कर रहे हैं।

अंतिम छोर तक वितरण को सशक्त बनाते सामुदायिक कैंडर

पिछले दशकों में, सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आजीविका, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, पेयजल, आवास, वित्तीय समावेशन और रोजगार जैसे कई क्षेत्रों में ग्रामीण विकास में पर्याप्त निवेश किया है। इन पहलों की सफलता में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के समर्पित नेटवर्क की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह नेटवर्क ग्रामीण समुदायों के साथ निरंतर जुड़ाव सुनिश्चित करता है और सेवाओं एवं योजनाओं के अंतिम-मील तक प्रभावी एवं समयबद्ध वितरण को सुदृढ़ करने में अहम योगदान देता है।

यह नेटवर्क स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में **10.40 लाख से अधिक** मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, **10.58 लाख** आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायक नर्स दाइयों को शामिल करता है। जमीनी स्तर पर **9 लाख से अधिक सीआरपी** सक्रिय हैं, जो कृषि, बैंकिंग, बीमा आदि क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इनमें से लगभग **4.08 लाख** सीआरपी कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों तथा ग्रामीण

उद्यमों से जुड़ी आजीविका के क्षेत्र में कार्य करते हैं। इन्हें विभिन्न क्षेत्रों में **कृषि सखी, पशु सखी, मत्स्य सखी और वन सखी** के नाम से जाना जाता है।

शेष लगभग **5 लाख** सीआरपी बैंक सखी, बिजनेस कॉरिस्पॉन्डेंट सखी, वित्तीय साक्षरता सीआरपी, बीमा सखी और जेंडर चैंपियन के रूप में कार्य करते हैं। ये वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता, बीमा, लैंगिक जागरूकता और सामुदायिक विकास जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में आवश्यक सहयोग प्रदान करते हैं। इसके अलावा, **स्वच्छाग्रही** जैसे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता भी स्वच्छता संबंधी सहायता प्रदान कर रहे हैं।

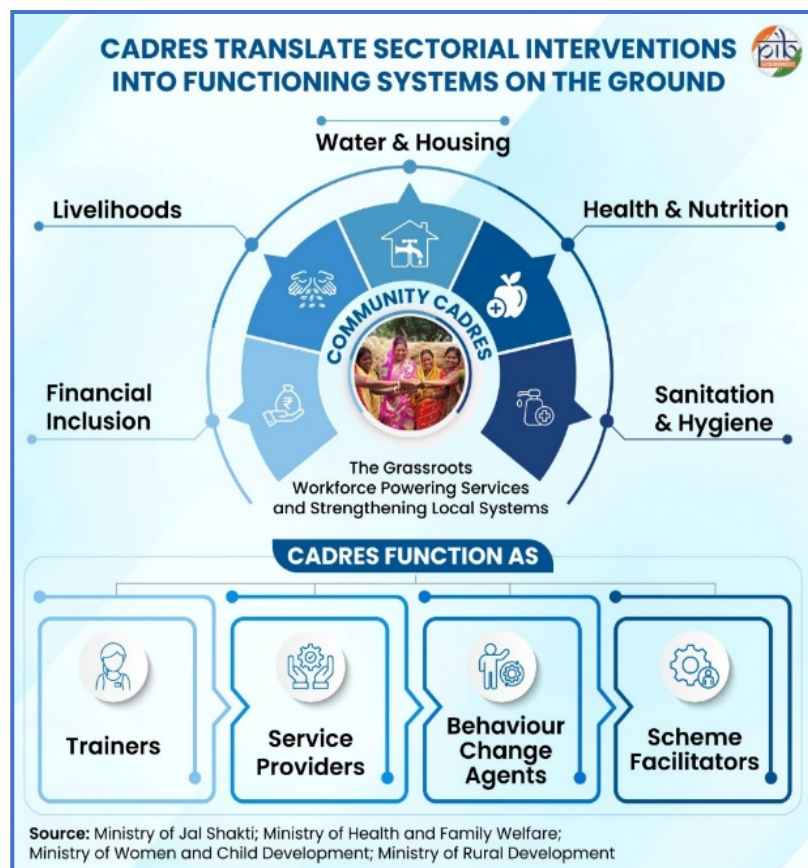
जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, सेवा सहायता और बेहतर पहुंच के माध्यम से, ये स्थानीय फ्रंटलाइन कार्यकर्ता संस्थानों और समुदायों के बीच की कड़ी को मजबूत करते हैं। यह जुड़ाव सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने में मदद करता है, कार्यक्रम कार्यान्वयन का समर्थन करता है और घरेलू स्तर पर सेवा वितरण का समन्वय करता है।

जमीनी बदलाव का कैडर मॉडल: सेक्टर-दर-सेक्टर, गांव-दर-गांव

सामुदायिक कैडर दृष्टिकोण एक प्रशिक्षित जमीनी स्तर के कार्यबल के माध्यम से सेवाओं के प्रभावी अंतिम-मील वितरण को सुनिश्चित करने के लिए एक विकेन्द्रीकृत तंत्र है। ये सामुदायिक संवर्ग कई परस्पर संबंधित भूमिकाएं निभाते हैं। प्रशिक्षकों के रूप में, वे **सहकर्मी शिक्षण और कौशल प्रसार के माध्यम से क्षमता निर्माण करते**

हैं। सेवा प्रदाताओं के रूप में, वे सामुदायिक स्तर पर आवश्यक आजीविका और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करते हैं। व्यवहार परिवर्तन एजेंटों के रूप में, वे जागरूकता को बढ़ावा देते हैं और स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक समावेश में बेहतर नियमों को अपनाने को प्रोत्साहित करते हैं। योजना सुविधाकर्ता के रूप में, वे दस्तावेजीकरण, विभिन्न सेवाओं से जुड़ाव और योजनाओं के अभिसरण में सहायता प्रदान कर

सरकारी कार्यक्रमों तक समुदायों की पहुंच सुनिश्चित करते हैं। अग्रिम पंक्ति के ग्रामीण कैडर को



संबंधित सरकारी योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मुआवजा दिया जाता है, जो आमतौर पर गतिविधि-आधारित होता है और सेवा वितरण के परिणामों, निर्धारित कार्यों की पूर्ति तथा सामुदायिक लामबंदी के प्रयासों से जुड़े प्रोत्साहनों पर आधारित होता है।

खेती से उद्यमिता तक: आजीविका का विस्तार

ग्रामीण परिवारों के लिए, आजीविका अक्सर ज्ञान, सेवाओं, ऋण और बाजारों तक सीमित पहुंच से बाधित होती है। भारत सरकार ने ग्रामीण परिवारों को उनके घरों के करीब आजीविका, वित्तीय सेवाओं, सामाजिक विकास से जुड़े हस्तक्षेपों और सरकारी योजनाओं तक पहुंच उपलब्ध कराने के लिए समुदाय आधारित संस्थाओं को मजबूत किया है। **दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन** इस दृष्टिकोण का एक प्रमुख आधार है। इसके तहत देशभर में महिलाओं के नेतृत्व वाली देश की सबसे बड़ी सामुदायिक संस्थागत व्यवस्थाओं में से एक का निर्माण हुआ है। इसके माध्यम से **10 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को लगभग 92 लाख स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया है।**

इन संस्थाओं में ग्राम संगठनों और क्लस्टर स्तरीय संघों के अलावा, विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में कार्य करने वाले सीआरपी का व्यापक नेटवर्क भी शामिल है। **9 लाख से अधिक सामुदायिक केंद्र** कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यम संवर्धन, बैंकिंग, वित्तीय साक्षरता, बीमा और सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों में ग्रामीण समुदायों को सहयोग प्रदान कर रहे हैं। वे कृषि और गैर-कृषि दोनों क्षेत्रों में अवसरों तक पहुंच से जुड़ी कमियों को दूर करने में मदद करते हैं। सीआरपी का चयन समुदाय से ही किया जाता है और उन्हें अपने कार्यक्षेत्र में प्रशिक्षण, मैदानी मार्गदर्शन तथा निरंतर क्षमता निर्माण का अवसर मिलता है।

कृषि सखी, पशु सखी, मत्स्य सखी और उद्यम संवर्धन के लिए सीआरपी-ईपी जैसे सामुदायिक केंद्र ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह सामुदायिक कार्यबल ग्रामीण महिलाओं को विकास कार्यक्रमों में भागीदारी से आगे बढ़कर **प्रशिक्षित सेवा प्रदाता, सामुदायिक नेता और स्थानीय परिवर्तनकारी** बनने में सक्षम बना रहा है।

आजीविका सीआरपी

ये सीआरपी कृषि और गैर-कृषि, दोनों क्षेत्रों में सक्रिय हैं। **कृषि आजीविका से जुड़े सीआरपी** प्रशिक्षित सामुदायिक केंद्र हैं, जो स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों और ग्रामीण परिवारों को बेहतर कृषि पद्धतियां अपनाने, पशुधन प्रबंधन को मजबूत करने, उत्पादकता बढ़ाने और आजीविका सेवाओं तक पहुंच बनाने में सहयोग करते हैं। जून 2025 तक, **4.62 करोड़ से अधिक महिला किसानों** को कृषि आजीविका से जुड़े हस्तक्षेपों के दायरे में लाया गया था। इन्हें **3 लाख से अधिक प्रशिक्षित आजीविका सीआरपी** का सहयोग मिला।

कृषि सखियां सामुदायिक कृषि सेवा प्रदाता हैं जो किसानों के साथ मिलकर काम करती हैं, स्थायी कृषि और कृषि उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देती हैं। जैसा कि वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में उल्लेख किया गया है, **1.91 लाख** से अधिक कृषि सखियों को संगठित किया गया है, जिससे जमीनी स्तर पर कृषि विस्तार की पहुंच में काफी वृद्धि हुई है। वन-आधारित क्षेत्रों में, वन सखियां गैर-लकड़ी वन उत्पादों के संग्रह, खेती और मूल्यवर्धन में सहायता करके योगदान देती हैं। लगभग **2,993 वन सखियां** क्षेत्र-स्तरीय सहायता प्रदान कर रही हैं और ज्ञान का प्रसार कर रही हैं।

पशु सखियों और मत्स्य सखियों सहित सामुदायिक केंद्रों द्वारा संबद्ध क्षेत्रों को भी सेवा प्रदान की जा रही है। लगभग **1.70 लाख** पशु सखियों को जुटाया गया है और पशुधन पालन परिवारों को पशु स्वास्थ्य में सुधार, इनपुट लागत को कम करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सहायता मिल रही है। इसी तरह, **2,012** से अधिक **मत्स्य सखियां** मत्स्य पालन आधारित आजीविका बढ़ाने और बाजार पहुंच में सुधार के लिए सहायता प्रदान कर रही हैं।

कृषि और संबद्ध गतिविधियों से परे, उद्यम विकास के माध्यम से गैर-कृषि आजीविका पर जोर दिया जा रहा है। **उद्यम संवर्धन के लिए सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (सीआरपी-ईपी)** और उद्योग सखियां व्यवहार्य व्यावसायिक अवसरों की पहचान करने, उद्यम योजनाएं तैयार करने, ऋण तक पहुंच की सुविधा प्रदान करने और बाजार संपर्क स्थापित करने में परिवारों की सहायता कर रही हैं। गैर-कृषि आजीविका सहायता में लगे लगभग **48,785 उद्योग सखियों** और एसवीईपी को चलाने वाले सीआरपी-ईपी के साथ, उद्यम विकास का समर्थन करने के लिए एक मजबूत संस्थागत नेटवर्क बनाया गया है। इस पहल के माध्यम से **4.11 लाख** से अधिक उद्यमों को समर्थन दिया गया है। इस प्रयास को कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सैकड़ों ब्लॉकों में संचालित समर्पित उद्यम प्रोत्साहन पहलों के माध्यम से और संस्थागत बनाया गया है।

जून 2026 तक, एसवीईपी के तहत 4.32 लाख उद्यमों को सहायता प्रदान की गई है। यह प्रयास विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सैकड़ों ब्लॉकों में संचालित समर्पित उद्यम संवर्धन पहलों के माध्यम से संस्थागत रूप ले रहा है। इसके अतिरिक्त, इस संस्थागत नेटवर्क को आगे बढ़ाते हुए, सरकार **उद्यमिता पर राष्ट्रीय अभियान** लागू कर रही है। इसके तहत **50,000 सीआरपी को उद्यम संवर्धन में प्रशिक्षित** किया जाएगा और **50 लाख स्वयं सहायता समूह सदस्यों को उद्यम विकास का प्रशिक्षण** दिया जाएगा।

अग्रिम पंक्ति में वित्तीय सशक्तिकरण

बिजनेस कॉरिस्पोंडेंट (बीसी) सखियों और बैंक सखी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत पदोन्नत प्रशिक्षित महिला समुदाय केंद्र हैं जो जमीनी स्तर पर वित्तीय मध्यस्थों के रूप में कार्य करती हैं। वहीं **1.48 लाख** से अधिक बीसी सखियां गांवों में डिजिटल, डोरस्टेप

वित्तीय सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करती हैं, जिसमें खाता खोलना, जमा, निकासी, फंड ट्रांसफर और शेष पूछताछ शामिल है। 50,548 से अधिक शाखा-स्तरीय बैंक सखियां क्रेडिट लिंकेज की सुविधा प्रदान करती हैं। अब तक, बैंक सखियों ने 2013-14 से स्वयं सहायता समूहों को ₹13.41 लाख करोड़ का बैंक ऋण प्राप्त करने में सहायता की है।

इस व्यवस्था को 56,727 वित्तीय साक्षरता सीआरपी का भी सहयोग प्राप्त है, जो गांव स्तर पर जागरूकता अभियान चलाते हैं। वे बैंक-आधारित वित्तीय साक्षरता केंद्रों के समन्वय से वित्तीय मामलों में सूचित निर्णय लेने को भी बढ़ावा देते हैं। वर्ष 2025-26 के दौरान, 3.81 करोड़ से अधिक महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों को वित्तीय साक्षरता का प्रशिक्षण दिया गया। इसमें वित्तीय योजना, बचत, ऋण, बीमा, पेंशन, उद्यम वित्तपोषण और बिजनेस कॉरिस्पॉन्डेंस जैसे विषय शामिल थे।

बैंकिंग और व्यवसाय में संतुलन: एक बिजनेस कॉरिस्पॉन्डेंट (बीसी) की प्रेरक यात्रा

असम के नगांव जिले के गांवों में देबश्री गोगोई बोरा की यात्रा इस बात को रेखांकित करती है कि कैसे बीसी सखियां ग्रामीण बैंकिंग सेवाओं में बदलाव लाने के साथ-साथ विविध आजीविका के अवसरों के सृजन को भी बढ़ावा दे रही हैं। एक पड़ोसी द्वारा कार्यक्रम से परिचित कराए जाने पर, उन्होंने बुनियादी बैंकिंग लेनदेन के साथ शुरुआत की, बाद में एक कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) आईडी प्राप्त की और एक ग्राहक सेवा बिंदु (सीएसपी) की स्थापना की।

पांच वर्षों से अधिक समय से, देबश्री ने ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने में मदद की है, जिसमें पीएम किसान और अरुणोदय जैसी योजनाओं के तहत लाभ भी शामिल हैं। प्रतिदिन 30-35 ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करते हुए, वह डोरस्टेप बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराती हैं। अप्रैल से अगस्त के बीच उन्होंने 2,500 से अधिक लेनदेन संसाधित किए, जिससे उन्हें 10,000-17,000 रुपये का मासिक कमीशन प्राप्त हुआ।



बैंकिंग सेवाओं के साथ-साथ, वह डेस्कटॉप पब्लिशिंग (डीटीपी), फोटोकॉपी और फोटो प्रिंटिंग का व्यवसाय भी संचालित करती हैं, जबकि उनके बैंकिंग कौशल स्थानीय आयोजनों में उपयोगी साबित होते हैं। अपने पति के सहयोग से, वह इन विभिन्न उद्यमों का सफलतापूर्वक प्रबंधन करते हुए अपनी आजीविका के अवसरों का विस्तार कर रही हैं।

सीएसपी को एक समर्पित दुकान में स्थानांतरित करने की उनकी योजना सेवाओं के विस्तार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। देबश्री की कहानी दिखाती है कि कैसे बीसी सखियां वित्तीय समावेशन को मजबूत कर रही हैं और स्थायी ग्रामीण उद्यमों का निर्माण कर रही हैं।

सामाजिक विकास के लिए सामुदायिक केंद्र

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सामुदायिक संस्थाओं की व्यवस्था आजीविका और वित्तीय समावेशन से आगे बढ़कर सामाजिक विकास तक विस्तारित है। सामुदायिक केंद्र लैंगिक समानता, पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सामाजिक समावेशन और सरकारी सेवाओं तक पहुंच से जुड़े हस्तक्षेपों में सहयोग करते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायक नर्स दाइयों और आशा कार्यकर्ताओं जैसी अन्य सरकारी कार्यक्रमों की अग्रिम पंक्ति की व्यवस्थाओं के साथ अपनी सामुदायिक संस्थाओं के समन्वय को भी मजबूत किया है। इससे सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने और सेवाओं को परिवारों के स्तर तक पहुंचाने में सहायता मिली है।

हर घर में स्वास्थ्य और पोषण

स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए केवल बुनियादी ढांचे का विस्तार पर्याप्त नहीं है। इसके लिए व्यापक जागरूकता, व्यवहारगत बदलाव और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी भी आवश्यक है। इस दिशा में स्वास्थ्य क्षेत्र के अग्रिम पंक्ति के केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। **31 दिसंबर 2025 तक, 10.40 लाख** से अधिक आशा कार्यकर्ता भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में समुदाय और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच संपर्क के प्रथम बिंदु के रूप में कार्य कर रही हैं।

वे समुदायों और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती हैं। समुदाय-आधारित स्वयंसेवकों के रूप में, आशा कार्यकर्ता निर्धारित कार्य घंटों से परे भी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप सेवाएं प्रदान करती हैं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन प्राप्त करती हैं।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एकीकृत बाल विकास सेवाओं और पोषण 2.0 के तहत पोषण एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे गंभीर तीव्र कुपोषण और मध्यम तीव्र कुपोषण से प्रभावित बच्चों की स्क्रीनिंग एवं पहचान करती हैं, पूरक पोषण उपलब्ध कराती हैं तथा बच्चों के आहार, स्तनपान, स्वच्छता और साफ-सफाई से जुड़े सकारात्मक व्यवहारों को बढ़ावा देती हैं।

पोषण भी पढ़ाई भी पहल का उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों को बेहतर बुनियादी ढांचे, खेल-आधारित शिक्षण सामग्री और प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सुसज्जित करना है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के क्षमता निर्माण को विशेष प्राथमिकता दी गई है। **मार्च 2026 तक, 10.58 लाख** से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा चुका था, जिससे जमीनी स्तर पर प्रारंभिक बाल्यावस्था सेवाओं की गुणवत्ता, प्रभावशीलता और पहुंच में सुधार हुआ है।

स्वच्छता और स्वच्छता व्यवहार को बड़े पैमाने पर बढ़ावा

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का उद्देश्य लोगों को स्वच्छता और स्वच्छता सेवाएं प्रदान करना है। इस अभियान के केंद्र में स्वच्छाग्रही हैं, जो स्वच्छ भारत मिशन के जमीनी स्तर के प्रमुख कार्यकर्ताओं के रूप में स्वच्छता और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आदर्श रूप से, प्रत्येक गांव में कम से कम एक स्वच्छाग्रही होता है, जिसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। स्वच्छाग्रही एक स्वयंसेवक है जो विविध पृष्ठभूमि से आ सकता है। इसमें आशा, एएनएम, एडब्ल्यूडब्ल्यू और अन्य सामुदायिक स्तर के स्थानीय कर्मचारी शामिल हैं। इसमें वाटर लाइनमैन कार्यकर्ता, पंप ऑपरेटर और सामान्य ग्राम समुदाय के सदस्य भी शामिल हैं।

एसबीएम (जी) क्षमता निर्माण डैशबोर्ड के अनुसार, **10.36 लाख** से अधिक पदाधिकारियों और **36,342 मास्टर प्रशिक्षकों** को प्रशिक्षित किया गया है। इसने ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वयन और व्यवहार परिवर्तन के प्रयासों को मजबूत किया है।

स्वच्छता दीदी: बस्तर में स्वच्छता से आजीविका का सृजन

बस्तर के जंगलों में कचरा कभी एक अनदेखे संकट का रूप ले चुका था। जगह-जगह बिखरा प्लास्टिक, अव्यवस्थित कचरा निस्तारण और प्रभावी प्रबंधन व्यवस्था के अभाव ने गांवों के सामने गंभीर स्वच्छता चुनौतियां खड़ी कर दी थीं। इसका बढ़ता बोझ न केवल लोगों के स्वास्थ्य और जीवन-यापन पर, बल्कि



पर्यावरण पर भी लगातार पड़ रहा था। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से बदलाव की शुरुआत हुई, क्योंकि स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने सामुदायिक अपशिष्ट प्रबंधन का नेतृत्व करने के लिए स्वच्छता दीदी के रूप में कदम बढ़ाया।

जो छोटी शुरुआत हुई थी, वह जल्द ही ठोस तरल संसाधन प्रबंधन (एसएलआरएम) केंद्रों की स्थापना के साथ 114 गांवों और 71 ग्राम पंचायतों में फैल गई। इन केंद्रों ने अपशिष्ट संग्रह, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया बनाई।

एसएलआरएम केंद्रों ने एक ही वर्ष में **12.22 लाख रुपए** से अधिक का राजस्व अर्जित किया, जबकि पिछले पांच वर्षों (2017-22) में कुल **15.20 लाख रुपए** की कमाई हुई थी। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में एसएचजी की महिलाओं ने पंचायतों (**1.52 लाख रुपए**) और सामग्री वसूली सुविधाओं (**97,553 रुपए**) से भुगतान को मिलाकर **2.50 लाख रुपए** कमाए। स्वच्छता दीदी कचरे के प्रभावी प्रबंधन के साथ-साथ समुदायों की सोच और व्यवहार में बदलाव ला रही हैं, उपेक्षित प्रणालियों को फिर से सक्रिय

कर रही हैं और यह साबित कर रही हैं कि पर्यावरणीय स्थिरता और आजीविका सृजन साथ-साथ आगे बढ़ सकते हैं।

स्थानीय संवर्गों के माध्यम से विश्वसनीय जल पहुंच

73वें संविधान संशोधन के अनुरूप, जल जीवन मिशन पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से ग्राम-स्तरीय योजना और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देता है। ग्राम पंचायतों और उनकी उप-समितियों, ग्राम जल और स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी) या पानी समितियों को गांव में जल आपूर्ति प्रणालियों की योजना, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव करने का अधिकार दिया गया है।

वीडब्ल्यूएससी सदस्यों का चयन ग्राम सभा के माध्यम से किया जाता है। समितियां महिलाओं का कम से कम 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती हैं और इसमें पंचायत सदस्य, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के प्रतिनिधि और वंचित परिवार शामिल होते हैं जबकि पानी की गुणवत्ता और स्वास्थ्य संकेतकों की निगरानी के लिए स्थानीय आशा कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क किया जाता है। वे ग्राम स्तर पर जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें धन का प्रबंधन, बैंक खातों का रखरखाव करना, उपयोगकर्ता शुल्क निर्धारित करना, बजट तैयार करना और जल प्रणालियों का उचित उपयोग और रखरखाव सुनिश्चित करना शामिल है। जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड के अनुसार, देश भर में 5.33 लाख से अधिक वीडब्ल्यूएससी/पानी समितियां कार्यरत हैं।

इसी तरह, नल जल मित्र कार्यक्रम समुदाय के सदस्यों को स्थानीय क्षमता को मजबूत करने के लिए "नल जल मित्र" के रूप में प्रशिक्षित करता है। उन्हें प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क और पंप ऑपरेशन जैसे तकनीकी कौशल में प्रशिक्षित किया जाता है। इस तरह के कौशल उन्हें जल आपूर्ति प्रणालियों का प्रबंधन और छोटी-मोटी मरम्मत करने में सक्षम बनाते हैं।

सामुदायिक सहयोग से निर्मित घर

आवास मित्र प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत क्षेत्र-स्तरीय सुविधाकर्ता हैं, जो ग्रामीण आवास में कार्यान्वयन, निगरानी और लाभार्थी सहायता का समर्थन करते हैं। प्रत्येक स्वीकृत घर एक ग्राम-स्तरीय पदाधिकारी से जुड़ा होता है, जैसे कि ग्राम रोजगार सहायक, आवास सहायक, आवास मित्र, या एक एसएचजी सदस्य। वे घर पूरा होने तक निरंतर समर्थन और अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। इस सहायता प्रणाली के माध्यम से, पीएमएवाई-जी का लक्ष्य मार्च 2029 तक 4.95 करोड़ घरों का निर्माण करना है।

आवास मित्रों के साथ सुरक्षित आवास की ओर: सुमति देबबर्मा के पक्के घर का सफर

आवास मित्र प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे पात्र परिवारों की पहचान करने और दस्तावेज पूरा करने से लेकर निर्माण की निगरानी करने और घरों को समय पर पूरा करने तक हर स्तर पर लाभार्थियों की मदद करते हैं। पश्चिम त्रिपुरा के मोहनपुर ब्लॉक

में रंगचेरा ग्राम पंचायत की श्रीमती सुमति देबबर्मा की कहानी बताती है कि यह सहायता जीवन को कैसे बदलती है।

वह अपनी बेटी के साथ एक जर्जर कच्चे मकान में रहती थीं। कमजोर छत, मिट्टी का फर्श और नाजुक दीवारें घर को असुरक्षित बनाती थीं, खासकर मानसून के दौरान। आवास मित्र के सहयोग से, उन्होंने पीएमएवाई-जी के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त की और 2022 में अपने घर का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा किया। उन्हें निर्माण प्रगति और जियो-टैगिंग से जुड़े प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से तीन किस्तों में **1.30 लाख रुपए** मिले।



इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, आवास मित्र ने हर चरण में उनका मार्गदर्शन किया, आवश्यक दस्तावेजीकरण में सहायता की, निर्माण कार्य की निगरानी की और ब्लॉक प्रशासन के साथ समन्वय सुनिश्चित किया। इस सहयोग और श्रमदान के माध्यम से मिली सामुदायिक भागीदारी से सुमति अपना पक्का घर समय पर पूरा कर सकीं। उनका नया घर न केवल उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक आवास प्रदान करता है, बल्कि उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हुए उनके परिवार को प्रतिकूल मौसम से भी सुरक्षा देता है।

सिस्टम को सेवाओं में बदलते सामुदायिक कैंडर

पहुंच, जागरूकता, क्षमता निर्माण और सेवा वितरण के अनुक्रमिक मार्ग के माध्यम से, सामुदायिक केंद्र परिवर्तन लाते हैं। वे अपने समुदायों के भीतर पात्र लाभार्थियों की पहचान करके, सरकारी सेवाओं तक **पहुंच में सुधार** करके शुरुआत करते हैं। वे दस्तावेजीकरण, सत्यापन और बैंक खाता लिंकेज में सहायता करके नामांकन की सुविधा प्रदान करते हैं। वे वित्तीय सेवाओं, सरकारी कार्यक्रमों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में जागरूकता भी बढ़ाते हैं। समुदायों के भीतर उनकी विश्वसनीय उपस्थिति



व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करती है और सेवा ग्रहण में सुधार करती है। वित्तीय साक्षरता, आजीविका और उद्यम विकास में निरंतर सहायता और क्षमता निर्माण घरेलू क्षमताओं को मजबूत करता है और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है।

घरेलू स्तर पर अभिसरण से वास्तविक प्रभाव

घरेलू स्तर पर अभिसरण की अवधारणा इस सोच पर आधारित है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को विकास के विभिन्न आयामों से एक साथ जोड़ा जाए, ताकि उन्हें समग्र और समन्वित रूप से आवश्यक सेवाओं एवं अवसरों का लाभ मिल सके। इनमें आजीविका, स्वास्थ्य, स्वच्छता और वित्तीय समावेशन शामिल हैं।

पारंपरिक क्षेत्र-विशिष्ट भूमिकाओं से परे, केंद्र अब घरेलू कल्याण के कई आयामों को संभालने के लिए तैयार रहते हैं। उदाहरण के लिए हम आशा कार्यकर्ता की बात कर सकते हैं जो मुख्य रूप से मातृ और बाल स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन उन्हें स्वच्छता, पोषण जागरूकता और **महिलाओं के खिलाफ हिंसा** का जवाब देने में भी प्रशिक्षित किया गया है।

इसी तरह, एनआरएलएम के तहत जेंडर सीआरपी लिंग आधारित हिंसा, बहिष्करण और असमानता जैसे गहरे सामाजिक मुद्दों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी भूमिका सामाजिक समावेशन को मजबूत करती है और यह सुनिश्चित करती है कि विकास के पहल समाज के सभी वर्गों की जरूरतों के लिए न्यायसंगत और उत्तरदायी हों। जैसा कि **ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल**

विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की संयुक्त सलाह में जोर दिया गया है, अग्रिम पंक्ति के कैंडर अभिसरण के अंतिम छोर के प्रवर्तक हैं। अभिसरण केवल कागजी स्तर पर समन्वय तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में ठोस और प्रत्यक्ष सुधार लाने का माध्यम बन रहा है।

बाधाओं को पार कर नेतृत्व की मिसाल: आरती की जमीनी बदलाव की कहानी

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के थनवा मुडियारी ग्राम पंचायत की 32 वर्षीय महिला आरती आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में पली-बढ़ी। वह अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर सकी और कम उम्र में ही उसकी शादी हो गई। उसका परिवार एक कच्चे घर में रहता था और अपने पति की प्रवासी आय पर निर्भर था।

2016 में, वह एक स्वयं सहायता समूह में शामिल हो गई, जिससे उसका आत्मविश्वास



Inauguration of Literacy classes by women elected representatives in Mudiari, Basti.

Aarti is the one draped in yellow sari.

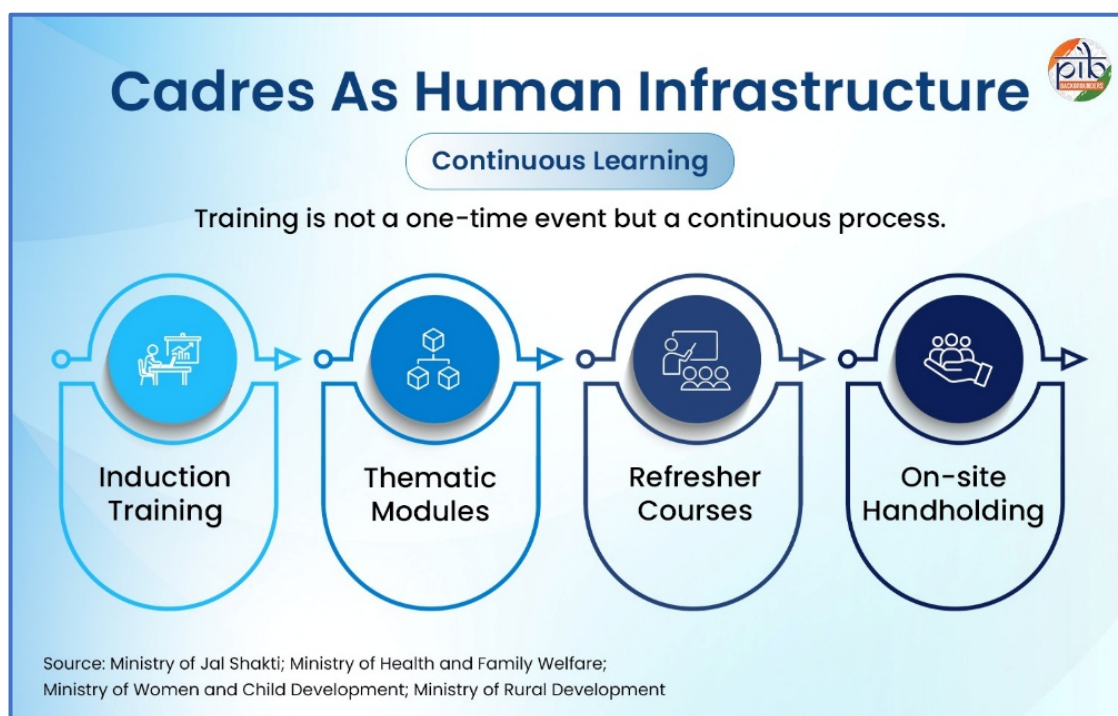
और सामुदायिक भागीदारी बढ़ी। वह एसएचजी, ग्राम संगठन और बाद में क्लस्टर स्तर महासंघ में पदाधिकारी बन गई। उसकी यात्रा ने एक नया मोड़ लिया जब वह पंचायती राज संस्थानों-समुदाय-आधारित संगठनों (पीआरआई-सीबीओ) अभिसरण परियोजना के तहत अभिसरण सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (सीसीआरपी) बन गई।

उसने ग्रामीणों को संगठित करने, साप्ताहिक बाजार की स्थापना में सहयोग देने तथा पंचायत, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और ग्रामीण परिवारों के बीच समन्वय एवं जुड़ाव को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रयासों से न केवल समुदाय को लाभ हुआ, बल्कि उनके परिवार की आय में भी वृद्धि हुई।

सामुदायिक कैंडरों के लिए निरंतर क्षमता निर्माण

क्षमता निर्माण अब एक बार की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक सतत प्रक्रिया बन गया है जिसमें प्रेरण प्रशिक्षण, विषयगत मॉड्यूल, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, फील्ड सलाह और ऑन-साइट हैंडहोल्डिंग को एकीकृत किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत इसे व्यवस्थित रूप से संस्थागत रूप दिया गया है। इसने कृषि सखी, पशु सखी, मत्स्य सखी और सीआरपी-ईपीएस सहित एक विविध कैंडर परितंत्र विकसित किया है। इन कैंडरों को कक्षा-आधारित प्रशिक्षण के साथ-साथ

कृषि, संबद्ध क्षेत्रों और सामुदायिक लामबंदी में व्यावहारिक क्षेत्रीय अनुभव के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है।



सीखने की यह संरचना कई क्षेत्रों में दिखाई देती है:

- **स्वास्थ्य और पोषण:** आशा कार्यकर्ताओं को वर्षभर में 23 दिनों के चरणबद्ध प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है, जिसे क्षेत्र-आधारित उपकरणों और नियमित कौशल सुदृढीकरण के माध्यम से निरंतर सहयोग प्रदान किया जाता है।
- **स्वच्छता:** स्वच्छाग्रहियों को व्यवहार परिवर्तन और निरंतर स्वच्छता नियमों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
- **जल सुरक्षा:** ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति सदस्यों और जल सखियों को ग्राम जल योजना, जल गुणवत्ता निगरानी और जल प्रणालियों के संचालन और रखरखाव में प्रशिक्षित किया जाता है।
- **आवास:** आवास मित्रों को लाभार्थी की पहचान, निर्माण निगरानी और अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण का समर्थन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

ये सभी कैडर एक समान संस्थागत ढांचे को दर्शाते हैं, जिसकी प्रमुख विशेषताएं हैं—निरंतर क्षमता निर्माण, विकेंद्रीकृत ज्ञान का हस्तांतरण और समुदायों के बीच निरंतर जमीनी उपस्थिति।

जमीनी कार्यकर्ता: ग्रामीण परिवर्तन की रीढ़

घरेलू स्तर पर सरकारी पहलों को सार्थक परिणामों में बदलने में अग्रिम पंक्ति के सामुदायिक केंद्र विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरे हैं। वे जागरूकता पैदा करते हैं, क्षमताओं को मजबूत करते हैं, सेवाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान करते हैं और सभी क्षेत्रों में अभिसरण को बढ़ावा देते हैं। उनके प्रयास यह सुनिश्चित करते हैं कि विकास उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। जैसे-जैसे ग्रामीण भारत विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है, वैसे-वैसे सेवा वितरण को सुदृढ़ करने, आजीविका के अवसरों को बढ़ाने और सामाजिक समावेशन को गति देने के लिए समुदाय-आधारित संस्थानों तथा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं में निरंतर निवेश आवश्यक होगा। यह निवेश अधिक सशक्त, सक्षम, गतिशील और आत्मनिर्भर ग्रामीण समुदायों की नींव को मजबूत करेगा।

संदर्भ

ग्रामीण विकास मंत्रालय

<https://www.dord.gov.in/static/uploads/2024/02/43f6d3ecbd0cf21b1a0c23d80d270e0c.pdf>
https://nirdpr.org.in/nird_docs/nrlm/nrlmhandbook240614.pdf
https://pmayg.dord.gov.in/netiayHome/Uploaded/Guidelines-English_Book_Final.pdf
https://rural.tripura.gov.in/sites/default/files/2024-01/A_success_story_on_PMAI-G_from_Tripura.pdf
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2247564®=3&lang=2>
https://kudumbashreenro.org/wp-content/uploads/2025/04/AAGHAAZ_Convergence_Project.pdf
https://www.brif.in/wp-content/uploads/2025/09/Gender-Resource-Person-Maharashtra-and-Jharkhand_under-FF.pdf
<https://www.dord.gov.in/static/uploads/2026/04/2a7fb3eb1a8c8dce16d7b95713c2c7d3.pdf>
<https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetailm.aspx?PRID=2154249®=3&lang=2>
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2224571&lang=1®=3>
<https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3d69116f8b0140cdeb1f99a4d5096ffe4/uploads/2026/04/202604211510022943.pdf>

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

<https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=150&lid=226>
<https://nhm.gov.in/images/pdf/communitisation/task-group-reports/guidelines-on-asha.pdf>
https://nhm.gov.in/New-Update-2023-24/ASHA/Orders_and_guidelines/ASHA-INCENTIVES.pdf
https://nhm.gov.in/images/pdf/communitisation/asha/ASHA_HandbookMobilizing_for_Action_on_Violence_against_Women_English.pdf
<https://nhm.gov.in/images/pdf/communitisation/asha/book-no-1.pdf>
<https://www.pib.gov.in/PressReleaseFramePage.aspx?PRID=2096075&lang=2®=3>
https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AU3480_k89CxP.pdf?source=pqals

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

<https://lakhpatcdn.lokos.in/lakhpati/2025/07/3.-Joint-Advisory-on-MWCD-MRD-MHFW.pdf>

जल शक्ति मंत्रालय

https://jaljeevanmission.gov.in/sites/default/files/guideline/GPHandbook_0.pdf
<https://jaljeevanmission.gov.in/infrastructure>
https://ejalshakti.gov.in/ijm/citizen_corner/villageinformation.aspx

<https://www.watersanitationlearning.gov.in/>
https://swachhbharatmission.ddws.gov.in/sites/default/files/Guidelines/SBM%28G%29_Guidelines.pdf
https://swachhbharatmission.ddws.gov.in/sites/default/files/Guidelines/Swachhagrahi_Guidelines_2018.pdf
https://swachhbharatmission.ddws.gov.in/sites/default/files/communication-material/Swachhata_Chronicles_val-3.pdf
https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AU3236_7XM0b2.pdf?source=pqals
<https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2023/jun/doc2023616213901.pdf>
https://jaljeewanmission.gov.in/sites/default/files/guideline/Margdarshika_for_Gram_Panchayat_and_Paani_Samiti.pdf

वित्त मंत्रालय

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2097875®=3&lang=2>
<https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/echapter.pdf>

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

https://sansad.in/getFile/annex/267/AU3223_iWIEwp.pdf?source=pqars

पीआईबी बैकग्राउंडर

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetailm.aspx?PRID=2181702®=3&lang=2>

पीआईबी शोध

पीके/केसी/बीयू/एसएस